

राजस्थान सरकार  
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(8) वित्त/राजस्व/18

जयपुर, दिनांक:-

27 NOV 2018

आज्ञा

निदेशक, कोष एवं लेखा ने अपने पत्र दिनांक 14.08.2018 के द्वारा इन अधिकारियों की सम्पत्ति/संतान संबंधी सूचना अवगत कराये जाने के कारण, राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थायी रूप से नियुक्त इन अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि/पद उपलब्धता की तिथि पर वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम, 28 (ए) के उप नियम 7(सी) के अन्तर्गत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के कनिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

क्र. सं.	वरीयता क्रमांक	अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्रीमती	वर्ग	जन्म तिथि	पद रिक्ति/उपलब्धता की तिथि
1.	160/182	ईश्वर पारवानी	--	14.11.1959	01.04.2017
2.	4/16	भंवरलाल बारूपाल	अजा	10.12.1959	01.04.2018
3.	6/28	गोपाल लाल	अजा	17.07.1966	01.04.2018
4.	15/38	सुरेश चन्द काबरा	--	13.06.1959	01.04.2018
5.	18/41	हरि किशन नाई (सेवानिवृत्त)	--	18.07.1958	01.04.2018
6.	25/48	रमेश चन्द सोनी (सेवानिवृत्त)	--	10.05.1958	01.04.2018
7.	40/63	मदन सिंह तंवर	--	04.11.1958	01.04.2018
8.	54/77	प्रकाश चन्द पाठनी	--	09.05.1959	01.04.2018
9.	58/81	जय मल सिंह माली	--	06.01.1960	01.04.2018
10.	61/2टीएसपी	हेमन्त कुमार झा (सेवानिवृत्त)	--	08.09.1958	01.04.2018
11.	65/87	पदम चन्द जैन	--	25.05.1959	01.05.2018
12.	82/104	सुधाकर	--	21.11.1959	01.07.2018

पदोन्नत अधिकारियों में से सेवारत अधिकारी पदोन्नति के उपरान्त अपने वर्तमान पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत मानते हुये कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

पदोन्नत अधिकारियों के पदोन्नति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रभावी होंगे तथा वे उक्त तिथि को कार्यग्रहण कर सूचना इस विभाग को प्रेषित करेंगे।


पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(प्रवीण गुप्ता)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव